[2019] 14 एस.सी.आर. 120

हरदेव सिंह
बनाम
हरप्रीत कौर व अन्य

(2013 की आपराधिक अपील संख्या 1331) नवंबर 07, 2019

[मोहन एम. शांतनागौदर और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006-धारा 9 की व्याख्या – उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरूद्ध अधिनियम 2006 की धारा के तहत अपराध के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता केवल 17 वर्ष का था, जब उसने प्रतिवादी नं०-1 से शादी की थी – हालांकि यह विवादित नहीं है कि शादी के समय प्रतिवादी नं० -1 (अपीलकर्ता की पत्नी) बालिग थी –अवधारितः धारा 2(ए), 2(बी) और 9 की शाब्दिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि यदि अट्ठारह से इक्कीस वर्ष के बीच का कोई पुरुष अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र की महिला के साथ विवाह करता है, तो वयस्क महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन यह वह पुरुष है, जिसे बाल विवाह करने के लिए दंडित किया जाएगा, भले ही वह स्वयं एक बच्चा है – हालाँकि ऐसी व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के विरूद्ध जाती है – इसका उद्देश्य नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्कों को दंडित करना था। यह धारा 9 के सीमांत नोट द्वारा भी समर्थित है, जिसमें लिखा है "बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दण्ड" – इस प्रकार, धारा 9 में शब्द " अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र का पुरुष वयस्क, बाल विवाह का अनुबंध करता है" को " अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र का वयस्क पुरुष एक बालक से शादी करता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए – वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड के आधार पर त्रुटि की है, क्योंकि अपीलकर्ता की उम्र 17 वर्ष थी यानी अठारह वर्ष से कम, जब उसने प्रतिवादी नंबर 1 से शादी की- अत: धारा 9 अपीलकर्ता पर लागू नहीं था – तद्नुसार, एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश को रद्द कर दिया गया और विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया – क़ानून की व्याख्या।

क़ानूनों की व्याख्या – धारा का सीमांत नोट-अवधारितः यह सुस्थापित है कि जहाँ किसी विधायी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई अस्पष्टता मौजूद है, सीमांत नोट का उपयोग निर्माण की सहायता में किया जा सकता है, कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और यह जिस रिष्टि का समाधान करना चाहता है।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अवधारित किया: 1. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 2(ए) बच्चे को परिभाषित करती है एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो यदि पुरुष है, ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और यदि महिला है, तो उसने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत "बाल विवाह" का तात्पर्य एक ऐसे विवाह से है जिसमें दोनों में से कोई एक बच्चा है। इस प्रकार, भले ही पति अट्ठारह वर्ष और इक्कीस वर्ष के बीच की आयु का हो, इसे बाल विवाह माना जा सकता है: [पैरा 3.1] [124-सी]

2. यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 (अपीलकर्ता की पत्नी) विवाह के समय वयस्क थी। 2006 का अधिनियम किसी पुरूष बच्चे से शादी करने वाली वयस्क महिला को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं करता है। इसलिए, 2006 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की शाब्दिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि यदि अठारह से इक्कीस वर्ष के बीच का कोई पुरुष अठारह वर्ष से अधिक उम्र की महिला के साथ विवाह करता है, तो वयस्क महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन वह पुरुष है, जिसे बाल विवाह करने के लिए दंडित किया जाएगा, भले ही वह स्वयं एक बच्चा हो। [पैरा 3.2] [124-डी-ई]

3. 2006 अधिनियम की धारा 9 को बाल विवाह की प्रथा के लैंगिक आयाम की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाल विवाह करने वाले केवल पुरुष वयस्कों को दंडित करने के पीछे का उद्देश्य भावी दूल्हे के लिए निवारक प्रभाव पैदा करके नाबालिग युवा लड़कियों को इसके नकारात्मक परिणामों से बचाना है, जिनके अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के होने के कारण ऐसा माना जाता है कि ऐसे विवाहों से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता है कि विधायकों ने अठारह से इक्कीस वर्ष की आयु के बीच के एक पुरुष को दंडित करने की मांग की थी जो एक वयस्क महिला के साथ विवाह का अनुबंध करता है। इसके बजाय, 2006 अधिनियम ऐसे पुरुष को, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बच्चा है, 2006 अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही करके विवाह को रद्द करने का उपाय प्रदान करता है। इसलिए, अठारह से इक्कीस वर्ष की आयु के बीच के पुरुष वयस्क, जो वयस्क महिला से विवाह करते हैं, उन्हें धारा 9 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह वह रिष्टि नहीं है जिसका प्रावधान इस प्रावधान में समाधान करना चाहता है। [पैरा 3.8] [126-ई-जी] सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

4. यह दृष्टिकोण धारा 9 के सीमांत नोट द्वारा समर्थित है, जिसमें लिखा है "बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए सजा"। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी विधायी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई अस्पष्टता मौजूद है, वहां सीमांत नोट का उपयोग निर्माण में सहायता के लिए किया जा सकता है, कानून के उद्देश्य और उस रिष्टि को ध्यान में रखते हुए जिसे वह दूर करना चाहता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2006 अधिनियम की धारा 9 में शब्द " अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क, बाल विवाह का अनुबंध करता है" को " अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क, बाल विवाह करता है" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। [पैरा 3.9] [126-एच; 127-ए]

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबद्ध कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर भारत के विधि आयोग की 205 वीं रिपोर्ट पृष्ठ पर 15-23-उल्लेखित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील
2013 की संख्या 1331

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के दिनांक 26.11.2010 के निर्णय और आदेश विविध दाण्डिक संख्या 23881/2010 विविध दाण्डिक संख्या 2010 का 11850-एम (ओ एंड एम)।

ऋषी मलहोत्रा, उत्कर्ष सिंह, अपीलकर्ता के अधिवक्तागण
बांके बिहारी शर्मा, रामनाथ, रंजीता रोहतगी, सतीश कुमार,
उत्तरदाताओं के अधिवक्तागण
न्यायालय का निर्णय मोहन एम. शांतानागौदर, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सी.आर.पी.सी.) की धारा 482 के तहत पारित आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 1) को सुरक्षा देने वाले अपने पहले के आदेश दिनांक 26.04.2010 को वापस ले लिया है।
रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने माता-पिता की सहमति के बिना 17.4.2010 को एक-दूसरे से शादी की। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या-1 के माता-पिता दंपति के लिए समस्याएँ पैदा कर रहे थे और परिणामस्वरूप, उन्होंने पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ के समक्ष एक आवेदन (आपराधिक विविध संख्या 11850-एम/2010) दायर किया। उपरोक्त आदेश दिनांक 26.04.2010 द्वारा पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई। इसके बाद, जोड़े ने हरदेव सिंह बनाम हरप्रीत कौर और अन्य दायर किया।

[मोहन एम. शांतानागौदर, जे.]

एक अवमानना याचिका, जिसे उच्च न्यायालय ने 18.5.2010 के आदेश के तहत पुलिस द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर निपटाया था कि प्रतिवादी नंबर 1 के परिवार के सदस्यों के इशारे पर याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

हालाँकि, बाद में, प्रतिवादी नंबर 1 के पिता द्वारा किए गए आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.11.2010 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से दिनांक 26.04.2010 के संरक्षण आदेश को वापस ले लिया, और अपीलार्थी के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 (2006 अधिनियम) की धारा 9 के तहत अपराध की एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया। यह इस आधार पर था

कि अपीलकर्ता ने पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए उपरोक्त आवेदन आपराधिक विविध संख्या 11850-एम/2010 में कहा था कि शादी के समय उसकी उम्र 23 वर्ष थी, जबकि वह केवल 17 वर्ष का था, जैसा कि स्कूल के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, जहां उसकी जन्मतिथि 30.6.1992 दर्ज है।

हम इस न्यायालय द्वारा बनाए गए आदेश पत्रों से नोट करते हैं कि इस न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 14.12.2010 के माध्यम से विवादित आदेश पर रोक लगा दी गई थी और उक्त अंतरिम आदेश वर्तमान तक जारी है।

2.रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अध्ययन करने और पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमारी सुविचारित राय है कि-:

(ए) उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने पहले के आदेश को वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि इसमें वापस लेने या समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। आपराधिक मामलों में इसके द्वारा पारित आदेश।

(बी) जिस आदेश को रद्द किया गया वह केवल एक सुरक्षा आदेश था और ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी, जिसमें उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता हो।

(सी) उच्च न्यायालय द्वारा 2006 अधिनियम की धारा 9 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्देश देना न्यायोचित नहीं था। अधिनियम 2009 की धारा 9 इस प्रकार है। "धारा 9. एक बालक से विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए सजा-

जो कोई, अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष होते हुए, बाल विवाह करता है, उसे दो साल तक के कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।'' (बल दिया गया)

उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 9 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश देने में उसके स्कूल रिकॉर्ड पर भरोसा किया है। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड के सम्बन्ध में गंभीर त्रुटि की है। [सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.]

चूँकि यदि स्कूल प्रमाणपत्र में दी गई जन्मतिथि को स्वीकार कर लिया जाता है , तो अपीलकर्ता 17 वर्ष का था, यानी अट्ठारह वर्ष से कम उम्र का जब उसने प्रतिवादी संख्या 1 से शादी की। इसलिए, धारा 9 उस पर लागू नहीं की जा सकती।

3. किसी भी मामले में, यह मानते हुए भी कि अपीलकर्ता की शादी की तारीख पर उसकी उम्र अठारह वर्ष या उससे अधिक थी, हमारी सुविचारित राय है कि धारा 9 इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है। यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 9 के तहत कोई अपराध बनता है या नहीं, 2006 अधिनियम की समग्र योजना का उल्लेख करना उचित है।

3.1. 2006 अधिनियम की धारा 2 (ए) बालक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है, जिसने यदि पुरुष है, तो इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है, तो अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत, "बाल विवाह" का अर्थ एक ऐसा विवाह है, जिसमें अनुबंध करने वाला कोई भी पक्ष बालक है। इस प्रकार, भले ही पति की उम्र अट्ठारह से इक्कीस वर्ष के बीच हो, इसे बाल विवाह माना जा सकता है।

3.2. इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 (अपीलकर्ता की पत्नी) शादी के समय बालिग थी। 2006 के अधिनियम में किसी लड़के से शादी करने वाली वयस्क महिला को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, 2006 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की शाब्दिक व्याख्या का अर्थ यह होगा कि यदि अट्ठारह से इक्कीस वर्ष के बीच का कोई पुरुष अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र की महिला के साथ विवाह करता है, तो वयस्क महिला को दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन वह पुरुष है जिसे बाल विवाह करने के लिए दंडित किया जाएगा, भले ही वह स्वयं एक बालक हो।

3.3.हमारा विचार है कि इस तरह की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य के विरुद्ध जाती है जैसा कि इसके विधायी इतिहास में बताया गया है। निस्संदेह, यह अधिनियम बाल विवाह की निंदनीय प्रथा को खत्म करने के लिए है जो हमारे समाज के कई हिस्सों में प्रचलित है। उद्देश्यों और कारणों का विवरण घोषित करता है कि बाल विवाह पर रोक पुरुष और महिला दोनों बालकों के स्वास्थ्य को बढ़ाने के साथ-साथ विशेष रूप से महिलाओं की स्थिति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से, इसलिए, इस कानून की शुरूआत के पीछे एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बाल वधुओं पर इस प्रथा के असमानुपातिक प्रतिकूल प्रभाव को रोकना था।

3.4. राज्यसभा से पारित होने के बाद जब बाल विवाह निषेध विधेयक, 2006 को हरदेव सिंह बनाम हरप्रीत कौर और अन्य के मामले में तत्कालीन राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा 14 वीं लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था।

[मोहन एम. शांतानागौदर, जे.]

महिला एवं बाल विकास, उन्होंने इस बात पर ज़ोर देकर प्रकाश डाला कि कैसे बाल विवाह देश में लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है.

“...दुर्भाग्य से, यहां भारत में आज लिंग जीवन और मृत्यु का मामला है। लड़के जीवित रहते हैं और लड़कियां मर जाती हैं और यह हमारे समय की त्रासदी है।“

फिर इन लड़कियों को स्कूलों में प्रवेश से वंचित कर दिया जाता है, उन्हें अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है, उन्हें खाद्य सुरक्षा तक पहुंच नहीं होती है, टीकाकरण तो दूर की बात है, वे एनीमिया से पीड़ित होती हैं, उन्हें संक्रमण और भयावहता के अनकहे जोखिम का सामना करना पड़ता है और जैसे ही वे अपने प्रजनन वर्षों में प्रवेश करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे हमारे जैसे उष्णकटिबंधीय देश में रहते हैं जहां प्रजनन वर्षों की शुरुआत कुछ अन्य देशों की तुलना में बहुत पहले होती है, फिर इन बालकों को शादी के लिए भेज दिया जाता है और वे उस उम्र में मां बन जाती हैं, कुपोषण के उस चरण में, खाद्य सुरक्षा से इनकार के उस चरण में और बीमारी पनपने के उस चरण में, जिसके परिणामस्वरूप वे कुपोषित बच्चों को जन्म देते हैं।

...इसके बाद ये बालक घरेलू हिंसा, शराबी पतियों द्वारा घर आकर उन्हें पीटने, विभिन्न प्रकार के दुर्व्यवहारों, तस्करी, दूर ले जाने और इस प्रकार की भयावहता का सामना करने के प्रति

संवेदनशील होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हालाँकि, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 लगभग 77 साल पहले लागू किया गया था, लेकिन इससे केवल रोक ही आई। इसमें रोकथाम या हटाने की बात नहीं की गई।"

3.5. इसके अलावा, भारत के विधि आयोग ने यह भी कहा है कि बाल विवाह उन लड़कियों के बीच कहीं अधिक प्रचलित है, जिनके पति अक्सर उनसे बहुत बड़े होते हैं, इसलिए उनके विकास से समझौता होता है। (बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 और अन्य संबद्ध कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव पर भारत के विधि आयोग की रिपोर्ट 205" पृष्ठ 15-23 पर देखें)

3.6. इस संबंध में बाल विवाह रोकथाम विधेयक, 2004 ('2004 विधेयक') का उल्लेख करना भी प्रासंगिक है जो 2006 अधिनियम से पहले आया था। 2004 विधेयक के खंड 2(ए), 2(बी), और 9 2006 अधिनियम की संबंधित धाराओं के समान हैं, सिवाय इसके कि 2004 विधेयक के खंड 9 में साधारण कारावास का प्रावधान है, जबकि 2006 अधिनियम की धारा 9 में अपराध के लिए कठोर कारावास का प्रावधान है। कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने 2004 के विधेयक पर अपनी तेरहवीं रिपोर्ट में कहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2019] 14 एस.सी.आर.

माना जाता है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों ने अठ्ठारह वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त कर ली है, अन्य कानूनों के तहत वर्षों की आयु के लिए एक विभेदक मीट्रिक अपनाया गया है। बाल विवाह को परिभाषित करने के उद्देश्य. पुरुषों के लिए अधिक आयु निर्धारित है, प्रचलित सामाजिक धारणाओं के आधार पर कि अठ्ठारह वर्ष की आयु होती है यह एक लड़के के लिए शिक्षा के वांछित स्तर और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त है, और दूल्हे और दुल्हन के बीच उम्र का अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।

3.7. हालाँकि, 2004 का विधेयक, साथ ही 2006 का अधिनियम, 18 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को किसी लड़की से शादी करने के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए पर्याप्त परिपक्वता वाला मानता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2004 विधेयक के खंड 9 का उद्देश्य एक बालक से शादी करने वाले पुरुष वयस्क के लिए पर्याप्त दंडात्मक परिणाम प्रदान करना है। हालाँकि, एक वयस्क महिला को किसी लड़के से शादी करने पर सजा से छूट दी जाती है, क्योंकि हमारे जैसे समाज में, शादी के संबंध में निर्णय आमतौर पर दूल्हा और दुल्हन के परिवार के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, और महिलाओं को आमतौर पर इस मामले में बहुत कम बोलने का अधिकार होता है। हम इस बात पर जोर देने में जल्दबाजी करते हैं कि हम अभियोज्यता में उपरोक्त अंतर को बनाए रखने की वांछनीयता पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हालाँकि, उस संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिसमें विधायिका द्वारा इस भेद को उचित माना गया था।

3.8. 2006 अधिनियम की धारा 9 को बाल विवाह की प्रथा के इस लिंग आयाम की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बाल विवाह करने वाले केवल पुरुष वयस्कों को दंडित करने के पीछे का उद्देश्य भावी दूल्हे के लिए निवारक प्रभाव पैदा करके नाबालिग युवा लड़कियों को इसके नकारात्मक परिणामों से बचाना है, जिन्हें अठ्ठारह वर्ष से

अधिक उम्र के होने के कारण ऐसे विवाहों से बाहर निकलने के योग्य माना जाता है। उपरोक्त चर्चा से कहीं भी यह पता नहीं चलता कि विधायकों ने अठारह से इक्कीस वर्ष की उम्र के बीच के एक पुरुष को दंडित करने की मांग की, जो एक वयस्क महिला के साथ विवाह का अनुबंध करता है। इसके बजाय, 2006 अधिनियम ऐसे पुरुष को, जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बालक है, 2006 अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्यवाही करके विवाह को रद्द करने का उपाय प्रदान करता है। इसलिए, अठ्ठारह से इक्कीस वर्ष की आयु के बीच के पुरुष वयस्क, जो वयस्क महिला से विवाह करते हैं, उन्हें धारा 9 के दायरे में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह वह रिष्टि नहीं है जिसका प्रावधान इस प्रावधान में समाधान करना चाहता है।

3.9. हमारे विचारों को धारा 9 की हाशिया टिप्पणी द्वारा समर्थित किया गया है, जिसमें लिखा है "बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए सजा"। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी विधायी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में कोई अस्पष्टता मौजूद है, वहाँ हाशिया टिप्पणी का उपयोग हरदेव सिंह बनाम हरप्रीत कौर और अन्य [मोहन एम. शांतानागौदर जे.] की संरचना की सहायता में किया जा सकता है, विधान के उद्देश्य और रिष्टि जिसका वह उपयोग करना चाहता है को ध्यान में रखते हुए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शब्द "अठ्ठारह वर्ष से अधिक आयु के पुरुष वयस्क, 2006 अधिनियम की धारा 9 में बाल विवाह का अनुबंध" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। "अठ्ठारह वर्ष से अधिक आयु का पुरुष वयस्क बालक से विवाह करता है"।

4. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, 2006 अधिनियम की धारा 9 वर्तमान मामले पर बिल्कुल लागू करे। अत्यधिक सावधानी से हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम अठ्ठारह से 21 वर्ष की आयु के एक पुरूष और एक वयस्क महिला द्वारा संपन्न विवाहों की वैधता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पुरुष के पास अपनी शादी 2006 अधिनियम की धारा 3 के तहत, निर्धारित शर्तों के अधीन रद्द कराने का विकल्प हो सकता है।

5. जो भी हो, पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है। जोड़ा खुशी से रह रहा है, और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसलिए, हमारी राय है कि वर्तमान मामले में पुलिस सुरक्षा की अब आवश्यकता नहीं है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जारी निर्देश (एफआईआर संख्या 122 दिनांक 24.12.2010) को अभिखंडित किया जाता है और विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकृत।

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वे अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी व्यवहारिक और अधकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Digitally signed by SHREYA SOLANKI
Date: 2023.11.06 10:30:24 IST
Reason: Judgement Order
Location: District and Sessions Court Raebareli